

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

जयपुर, दिनांक: 3.1.2005

क्रमांक:प.2(13)पपा-2000/पार्ट II

विषय:- निजी क्षेत्र में संचालित पशुधन सहायक प्रशिक्षण विद्यालयों की स्वीकृति बाबत।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2003 में कुल 44 पशुधन सहायक प्रशिक्षण विद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई थी। उक्त प्रशिक्षण विद्यालयों की काउन्सिलिंग पूर्ण होते ही श्री अमर ज्ञान विद्यालय समिति, बीकानेर द्वारा मा0 राज0 उच्च न्यायालय, जयपुर में याचिका संख्या 5908/2003 दायर की गई, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य सचिव, राज0 की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर निर्देश दिये गये कि याची के प्रतिवेदन पर कमेटी सुनवाई कर जो जो विद्यालय राज्य सरकार के माप दण्ड पूर्ण करतें हों, उनको प्रशिक्षण विद्यालय प्रारम्भ करने की अनुमति दी जावे।

मुख्य सचिव, राजस्थान की अध्यक्षता वाली समिति ने सम्बन्धित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति गठित कर इन संस्थाओं की पुनः निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर जो संस्थाएं विभागीय माप दण्डों के अनुरूप पायी जावें, को प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति देने की अभिशंका की।

राज्य सरकार को जिला स्तरीय समिति से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन का परीक्षण करने के उपरान्त विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 27.12.04 की निरंतरता में निम्नलिखित संस्था को पशुधन सहायक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	जिला	संस्था का नाम	स्थान
1	जयपुर	शिवम कृषि एवं ग्रामीण विकास समिति, जयपुर	जोबनेर, जयपुर


(एम0 एल0 जागिड़)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय पशुपालन मंत्री, राजस्थान।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
5. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
- ✓ 6. सचिव, शिवम कृषि एवं ग्रामीण विकास समिति, जोबनेर, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव